जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V-222
28/12/23

क्रमांकः– जविप्रा/उपा./जोन–09/2023/डी– 4711 दिनांक 26/12/23

–: आम सूचना :–

निम्न आवेदक द्वारा सम्पति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स. स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिनके लिऐ आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री अशोक कुमार	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री भगवान सहाय खण्डेलवाल	22	192.00	निजी खातेदारी	कृष्णा सरोवर	फ्री–होल्ड पट्टा	अपंजीयन वसीयत, मृत्यु प्रमाण
2	श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री अशोक कुमार	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री भगवान सहाय खण्डेलवाल	23	192.00	निजी खातेदारी	कृष्णा सरोवर	फ्री–होल्ड पट्टा	अपंजीयन दस्तावेज
3	श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री अशोक कुमार	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री भगवान सहाय खण्डेलवाल	24	192.00	निजी खातेदारी	कृष्णा सरोवर	फ्री–होल्ड पट्टा	अपंजीयन दस्तावेज

आवेदक द्वारा उक्त के आधार पर फ्री–होल्ड पट्टा करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का फ्री–होल्ड पट्टा जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष मे कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–09
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन–09
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–ज.वि.प्रा./उपा./जोन–13/2023/डी– 3166　　　　　　**दिनांकः–** 26/12/23

~~सहायक निदेशक~~ (जनसम्पर्क) अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः–राजस्व ग्राम–हरमाडा, तहसील–रामपुराडाबड़ी के खसरा नम्बर 464, 473, 474, 475, 192, 191, 459 की भूमि पर सीतापुरी कॉलोनी–II विकास समिति द्वारा सीतापुरी–II योजना के नियमन हेतु प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत नियमन की कार्यवाही हेतु जारी लोक सूचना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के तहत राजस्व ग्राम–हरमाडा, तहसील–रामपुराडाबड़ी के खसरा नम्बर 464, 473, 474, 475, 192, 191, 459 की भूमि पर सीतापुरी कॉलोनी–II विकास समिति द्वारा सीतापुरी–II के नियमन की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके संबंध में सुओमोटो की कार्यवाही के लिये जारी लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है।

अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फोंट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो–दो मूल प्रतियॉ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सलंग्नः–लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
प्रारूप–13
(नियम 13(2) देखिए)
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

क्रमांकः–जविप्रा/उपा./जोन–13/2023/डी–3166 दिनांकः– 26/12/23

प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर–कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान्/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा/सहमति पत्र भूमि हस्तान्तरित होने के कारण अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 90–क(8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (।।) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में में सुओमोटो पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (।।) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम व तहसील का नाम	सहकारी समिति/ विकास समिति का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टेयर	स्वामित्व
हरमाड़ा/ रामपुराडाबड़ी	सीतापुरी कॉलोनी–।। विकास समिति	464	0.23	चन्दा लाल, मंगल चंद, संतोष कुमार, हनुमान सहाय पुत्र चौथूराम
		473	0.0100	
		474	0.1100	
		475	0.0100	
		192	0.3300	
		191	0.2900	कालूराम, नानूराम, मूलचन्द, बाबूलाल, श्रवणलाल, सीताराम पुत्रान् मोहरूराम
		459	0.3400	छोटू पुत्र लाल, नाथूराम, पोखरमल, बाबूलाल पुत्रान् रूडा, भगवतसिंह पुत्र मुरारदान, मन्नी पत्नि स्व. कजोड़, नाबालिग सीताराम पुत्र कजोड सरंक्षक सरपरस्त माता देऊ

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.।। जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 में उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.09.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90–क(8) की कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नं पी.बी. टी.एफ–307 पार्किग भवन, तृतीय मंजिल, जविप्रा, जयपुर स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियॉ प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिनांक 26/12/23 को जारी की जाती है।

(हस्ताक्षर) 26/12/23

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13,
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / जोन–9 / 2023 / डी– 4684 दिनांकः– 22/12/23

सार्वजनिक विज्ञप्ति

ग्राम टीलावाला मे स्थित पुरूषार्थ नगर ए विस्तार के खसरा नम्बर 316 से 318, 320 से 339 व 501 से 503 के सम्बन्ध में संभागीय आयुक्त का निर्णय दिनांक 5.6.06 के क्रम में प्रभाती पत्नी छीतर, रविन्द्र पुत्र छीतर, बाबू पुत्र पांच्या, प्रभू पुत्र पांच्या, मोती पुत्र पांच्या, छोटू पुत्र पांच्या, लाला पुत्र पांच्या, जगदीश पुत्र रामचन्द्र, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र, हजारी पुत्र रामचन्द्र, नेनूराम पुत्र रामचन्द्र, बद्री पुत्र सुल्तान सिंह, गोविन्दा पुत्र सुल्तान सिंह, रामनाथ पुत्र जुवारा, रूपनारायण पुत्र बख्तावर, भौरीलाल पुत्र रामप्रताप को सुनवाई हेतु इस कार्यालय से कई बार पत्राचार किया जाकर अवसर दिया गया है परन्तु आप आज दिनांक तक सुनवाई हेतु कार्यालय मे उपस्थित नही हुये है। अतः पुनः आपको अन्तिम नोटिस जारी कर दिया गया है उक्त जारी नोटिस के 7 दिवस मे सुनवाई हेतु कार्यालय के कमरा नम्बर 306 पार्किंग बिल्डिंग, तृतीय तल, जविप्रा, जयपुर मे मय साक्ष्य उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उपायुक्त जोन–9

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–9

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा / उपा. / जोन–4 / 2023 / डी– 2277 दिनांक 27.12.2023

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण / लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	5	विष्णु गार्डन	श्री जगदीश चन्द्र विजयवर्गीय पुत्र श्री नानालाल विजयवर्गीय	श्री मास्टर किशोर निर्मल वासवानी पुत्र श्री निर्मल चोइथराम वासवानी	सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र दिनांक 05.08.1980, साईट प्लान, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.12.2020, मुख्त्यारनामा आम, अपंजीकृत इकरारनामा आदि।
2	6	विष्णु गार्डन	श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री राकेश कुमार गुप्ता	श्रीमती दीपा निर्मल वासवानी पत्नी श्री निर्मल चोइथराम वासवानी	सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र दिनांक 05.08.1980, साईट प्लान, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.12.2020, मुख्त्यारनामा आम आदि।
3	बी–20	कृषि नगर–बी	श्री महेश किशोर सक्सैना पुत्र श्री श्याम किशोर सक्सैना	श्री हनुमान प्रसाद मेहता पुत्र श्री मोती राम मेहता	सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र दिनांक 12.12.1990, अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 10.08.1998 एवं 13.04.2004, श्री लक्ष्मी सक्सैना का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 19.01.2009, वसीयत नामा दिनांक 13.04.2004 आदि।

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांकः 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन–11/2023/डी – 179

दिनांक 26/12/23

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री मनीष जैन पुत्र श्री महावीर जैन	श्रीमती प्रेमलता कासलीवाल पत्नी स्व. ताराचन्द कासलीवाल	2	400 वर्गगज	निजी खातेदारी	स्वास्तिक ग्रीन सिटी	लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयतनामा के आधार पर

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ. नोट

विषयः– विज्ञप्ति का प्रकाशन के सम्बन्ध में।

आम सूचना

आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती पप्पू कंवर पत्नी श्री छोटू सिंह राठौड	श्रीमदनलाल पत्नी श्री ईशवर लाल	29	115.00	भैरव गृनिसस	सूर्यनगर डी	लीजडीड जारी करने हेतु	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध।
2.	श्री तुलसीराम पुत्र श्री भूरामल	नारायण पुत्र श्री जगन्नाथ	5ए	212.00	निजी खातेदारी	वैष्णो देवी नगर–बी	लीजडीड जारी करने हेतु	समिति द्वारा जारी सदस्यता सूची मे अंकित भूखण्ड संख्या के सम्बन्ध मे।

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र मे कराने का श्रम करावे।

यू.ओ.नोट कमांक जविप्रा/उपा.जोन–06/23/डी–3597 दिनांकः 22/12/23